A.B.P. No. 1893/2025

Jhajha P.S. case no. 561/2025

Md. Sagir Ansari & others Vs. State of Bihar

12.03.2026 झाझा थाना काण्ड संख्या–561/2025, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 126(2), 74, 352, 315(2), सभी सपठित धारा 3(5) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(i)(r)(s) से संबंधित है, के अभियुक्तगण 1. **मो0 सगीर अंसारी,** उम्र लगभग 41 वर्ष, पिता–मो0 मुदीन अंसारी, 2. **सोनिया खातुन,** उम्र लगभग 32 वर्ष, पति सगीर अंसारी, 3. **रोवेषा खातुन उर्फ जहीदा खातून,** उम्र लगभग 60 वर्ष, पति मुद्धीन अंसारी, 4. **तनवीर अंसारी,** उम्र लगभग 30 वर्ष पिता–मुद्धीन अंसारी, 5. **मुद्धीन अंसारी,** उम्र लगभग 65 वर्ष, पिता–स्व0 इस्लाम अंसारी सभी निवासी ग्राम लौगंया, थाना झाझा, जिला जमुई की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

कांड की सूचिका गौरखी देवी पति कैलाश रजक द्वारा थानाध्यक्ष, थाना झाझा को दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक–08.03.2025 को समय लगभग 10:30 बजे दिन में अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पहुचाने गये थे कि बगल के मो0 समीर अंसारी गुस्से में एकाएक गाली गलौज करने लगा और कंधा पर हाथ रखकर धक्का दे दिया और कहने लगा कि उसका आंगनबाड़ी है। यह उसके जमीन में है, इसमें तुमको लात भी नहीं रखने देंगे। जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करने लगा एवं जोर–जोर से चिल्लाते हुए मारपीट करने लगा और बोला कि ''घर से भगा देंगे, पूरे परिवार को जान से मार देंगे।'' तुम बकरी से उसका गेहूँ चरवा दिया है। उनके साथ में उनके परिवार के सभी सदस्य मारने के लिए टूट पड़ा। इनमें तनवरी अंसारी, रोवेशा खातून, सोनिया खातून, मुद्धीन अंसारी शामिल है। इसी प्रकार दिनांक–06.03.2025 को अपने खेत में गोबर डालने गये थे तो उक्त लोगों ने मारपीट एवं गाली गलौज किया तथा घर से पूरे परिवार को भगा देने की धमकी दिया। ये दोनों घ ाटना उसके पति के अनुपस्थिति में हुई है। दिनांक–08.03.2025 की घटना को अपने पति को शाम में बताया तो फिर से घर पर चढकर मारपीट करने जैसा स्थिति बना दिया। तब अंत में 122 नम्बर पर कॉल किया और पुलिस आयी।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन में आगे कथन है कि आवेदक अभियुक्तगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है तथा

लगातार
12.03.2026

उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्तगण को झूठे एवं मनगढंत मामले में अपने पति, पुत्र एवं देवर को आवेदकगण मुद्धीन के पूर्व केस परिवाद पत्र 350सी/2025 से बचाने के उद्देश्य से फंसाया गया है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधार पर आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया। उनका कथन है कि लगा आरोप गम्भीर है तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18 के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये अग्रिम जमानत आवेदन विधितः पोषणीय नहीं है।

मैंने अभिलेख सहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के पैरा 2 में कांड की सूचिका का पुनः बयान दर्ज है। अपने पुनः बयान में कांड की सूचिका ने प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पैरा 3 में साक्षी कैलाश रजक का बयान दर्ज है जिन्होंने अपने बयान में प्राथमिकी का समर्थन किया है। यह मामला अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतगर्त दण्डनीय अपराध के अभियोग से संबंधित है तथा मैं विद्वान अपर लोक अभियोजक के इस कथन से सहमत हूं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18 के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये अग्रिम जमानत आवेदन विधितः पोषणीय नहीं है। अतः यह अग्रिम जमानत **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह
सह विशेष न्यायालय, जमुई।

प्रति अग्रसारितः– विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायालय, जमुई।